बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
::आदेश::

पटना, दिनांक 08/06/26

संचिका संख्या–07/मु0–01–106/2026–...1924../ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–6213/2026 तलत जबीन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–28.04.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में यह आदेश निर्गत किया जा रहा है।

2. सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–6213/2026 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–28.04.2026 को पारित आदेश की कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"....The respondent-State is directed to take instructions as to why such discrimination has been made despite the order of status quo and the payment of salary to similarly situated persons, and to file a counter affidavit"

3 .उक्त पारित न्यायादेश के अनुपालन में वादी को अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए दिनांक–13.05.2026, दिनांक 25.05.2026 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में सुनवाई निर्धारित की गयी। जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. याचिकाकर्ता का कथन है कि मेरी नियुक्ति पंचायत नियोजन इकाई के द्वारा देशियाटोली, प्रखंड बहादुरगंज, जिला किशनगंज में दिनांक 17.08.2010 को किया गया। तदोपरांत सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को विभाग द्वारा दो वर्षीय सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण डी0एल0एड0 सत्र 2013–2015 कराया गया जिसका रिजल्ट 2018 में प्रकाशित किया गया। मुझे एक विषय में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। तत्पश्चात मुझे पूरक परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिल सका वर्ष 2025 में पूरक परीक्षा में बैठने का मौका मिला, जिसका परीक्षाफल अभी प्रकाशित नहीं हुआ है। साथ ही याचिकाकर्ता का कहना है कि उनका वेतन विभागीय समय सीमा 31.03.2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने के कारण माह जनवरी 2023 से लम्बित है।

5. विभागीय पत्रांक–12 दिनांक 05.01.2023 द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेशित किया गया है कि ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में अथवा अनुकम्पा के आधार पर अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में हुई है तथा जिन्होंने दिनांक 31.03.2019 के पश्चात् एवं दिनांक 19.10.2022 तक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, वे सेवा में बने रहेंगे। ऐसे सभी शिक्षकों को उनकी प्रशिक्षण पूर्णता की तिथि से नवनियुक्त माना जायेगा तथा उनकी सेवा की गणना तद्नुसार की जायेगी। इनके प्रशिक्षण से पूर्व की सेवा की गणना की किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं की जायेगी।

ऐसे शिक्षक जो दिनांक–19.10.2022 तक प्रशिक्षण प्राप्त करने में असफल रहे हैं, उन्हें नियोजन इकाई द्वारा नियमानुसार विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए उनकी सेवा समाप्त की जायेगी।

6. अंकनीय है कि विभागीय पत्रांक–4137 दिनांक–18.11.2025 द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया है कि याचिका सं0–16214/2019 अताउर रहमान एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा संबद्ध याचिकाओं में

यह निर्णय दिया गया है कि जो शिक्षक दिनांक–19.10.2022 तक अप्रशिक्षित रहे, उन्हें सेवा में बनाए नहीं रखा जाएगा। उक्त निर्णय को एल0 पी0 ए0 सं0–704/2022 तथा अन्य संबद्ध मामलो में कुछ संशोधनों के साथ बरकरार रखा गया।

7. उक्त एल0पी0ए0 निर्णय के विरूद्ध विशेष अनुमति याचिका सं0–10872–10898/2024 एवं संबद्ध याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई । माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–17.05.2024 को आदेश पारित किया गया है कि –: Unit further orders, the parties are directed to maintain status Quo, as of todays."

इस परिप्रेक्ष्य में यह स्थिति उत्पन्न हुई है कि कुछ अप्रशिक्षित शिक्षक, जो दिनांक–19.10. 2022 को भी अप्रशिक्षित थे, उन्हें संबंधित नियोजन इकाईयों की शिथिलता अथवा प्रशासनिक चूक के कारण सेवा से नहीं हटाया गया और वे निरंतर सेवा करते रहे है के वेतन भुगतान के संबंध में विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया है।

8. विधि विभाग से प्राप्त परामर्श का प्रसांगिक अंश इस प्रकार है :–"... as to whether such untrained teacher who are discharging dutied but are untrained will be entitled to claim salary for the period they are continuing in service, the same would depend upon the final decision of the Hon'ble Supreme Court in SLP (c) No 10898 of 2024 as this issue of claim of salary by untrained teacher still in Service would be a supplementary issue arising out of the main issue before the Hon'ble Supreme Court in the said SLP i.e whether teachers who remain untrained after 19-10-2022 were correctly directed to be removed from service by the State or not.."

अतः उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में वादी के दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले को निस्तारित किया जाता है।

(विक्रम विरकर)
निदेशक प्राथमिक शिक्षा ।

ज्ञापांक–07/मु0–01–106/2026......1924 पटना, दिनांक 08/06/26

प्रतिलिपिः–Talat Jabin W/o Md. Amanullah, R/o Village- Deshlatoli, P.O.- Moharganj, P.S.- Bahadurganj, District- Kishanganj at Present posted at New Government Primary School, Dulali Tola, Block - Bahadurganj, District - Kishanganj.

2. जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्राथमिक शिक्षा ।

ज्ञापांक–07/मु0–01–106/2026......1924 पटना, दिनांक 08/06/26

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्राथमिक शिक्षा ।